रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 11 मार्च, 1980/21 फाल्गुन, 1901

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 26 फरवरी, 1980

संख्या पी०सी०एच०एच०ए० (4)-46/76.—हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (वर्ष 1970 का 19वां अधिनियम) की धारा 154 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज धुन्धला स्थित वंगाना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश को अधिक्रमण (सुपरसीड) करने का सहर्ष आदेश देते हैं, क्योंकि यह पंचायत समिति गणपूर्ती (कोरम) के अभाव के कारण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 के अधीन या द्वारा सौंपे गए अपने कर्तव्यों को निभाने में सक्षम नहीं है।

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश ऊपर कथित अधिनियम की धारा 155(1)(बी) में निति शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त पंचायत समिति के पुनः स्थापन तथा कार्य प्रारम्भ करने के समय तक के लिये उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) ऊना को पंचायत समिति वंगाना (धुन्धला) की पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करने तथा उन्हें निभाने हेतु नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं।

अनंग पाल,
सचिव।

218-राजपत्र-11-3-80—1008.

मूल्य: 20 पैसे।

सामान्य प्रशासन विभाग

"सी अनुभाग"

अधिसूचना

शिमला–2, 23 फरवरी, 1980

संख्या जी0ए0डी0 (जी0 आई-6) (एफ)-12/77 जी0 ए0 सी0.––हिमाचल प्रदेश लैण्ड रैवेन्यू एक्ट, 1953 (1954 का अधिनियम संख्या 6) की धारा 6 में प्रदत्त शक्तियों तथा इस सम्बन्ध में अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, ज़िला मण्डी में चच्योट तहसील के अन्तर्गत गोहर नामक स्थान पर नई उप-तहसील गोहर का सृजन करने के सहर्ष तत्काल आदेश देते हैं। गोहर उप-तहसील में निम्नलिखित कानूनगो वृत एवं पटवार वृत सम्मिलित होंगे:—

नई सृजित की गई उप-तहसील	कानूनगो वृत का नाम	अधीनस्थ पटवार वृत
1	2	3
गोहर	1. स्यांज	1. थरजूण
		2. बसां
		3. स्यांज
		4. नांडो
		5. गोहर
		6. मझोठों
	2. नाचन	7. मौबों
		8. कोहलु
		9. चच्योट
		10. बाडू
		11. धंगयारा
		12. धोस्तों
		13. शाला

आदेश द्वारा,
केशव चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-3 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।